

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 01/2017

अधोहस्ताक्षरी को निदेशक, भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 01/04/2016/पी एण्ड पी डब्ल्यू (एफ) दिनांक 11/11/2016 को सूचित किए जाने का निदेश (प्रति संलग्न) हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर-2016 से पूर्व निःशक्त पेंशनरों की निःशक्तता पेंशन के पुनरीक्षण पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दि.वि.प्रा. में भी लागू होगा।

इसे उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन समान रूप से जारी किया जा रहा है।

(कल्पना मोंगिया)
वरि. लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)

एफ ई 5(35)/2016/7वीं सीपीसी/डीडीए/36

दिनांक : 17/01/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्याधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ,
2. वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ,
3. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.,
4. आयुक्त (कार्मिक)/आयुक्त एवं सचिव,
5. सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.,
6. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (वित्त)/चिकित्सा एवं पेंशन/लेखा परीक्षा,
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्या.)-I/पेंशन/चिकित्सा/संस्थापना/वर्क्स/सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी,
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन)-समन्वय,
9. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)